"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक. शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 115] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 16 जून 2005—ज्येष्ठ 26, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 16 जून 2005

क्रमांक 5152/21-अ/प्रारूपण/05.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्र. 6 सन् 2005) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 1 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2005

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत: राज्य के विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्यवाही करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2005" है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 48-ख का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 48-ख की उपधारा (1), (2), (3), (4) एवं (5) के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1) प्रत्येक नगरपालिक निगम के निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सम्मिलन की तिथि से छ: माह के भीतर मोहल्ला समितियों का गठन किया जाएगा.

(2) मोहल्ला समितियों की संख्या और उनके प्रादेशिक क्षेत्र का अवधारण, सदस्यों की संख्या तथा समितियों के कृत्य, शक्तियां और कार्य संचालन ऐसी रीति से होंगी, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए."

रायपुर, दिनांक 16 जून 2005

क्रमांक 5152/21-अ/प्रारूपण/05.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (क्र. 1 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 1 of 2005)

THE CHHATTISGARH MUNICIPAL CORPORATION (AMENDMENT) ADHYADESH, 2005

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the fifty-sixth year of the Republic of India.

Whereas the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following ordinance :—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the "Chhattisgarh Municipal Corporation (Amendment) Adhyadesh, 2005".

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 48-B.

2. For Sub-section (1), (2), (3), (4) and (5) of Section 48-B of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), the following shall be substituted, namely :—

"(1) The Mohalla Committees shall be constituted within six months from the date of first meeting of the Council after the election of each Municipal Corporation.

(2) The number of Mohalla Committees and determination of their territorial area, number of members and functions, powers and the procedure for the conduct of business shall be determined in such manner as may be prescribed by the State Government."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.